



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273599
CG-DL-E-19062026-273599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3096]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3096]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2026

का.आ. 3219(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.5865(E) तारीख 17/12/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा ओडिशा राज्य में एनएच 55 के किमी 277.500 से 318.970 तक कंदरपुर बालिकुडा के एलए सहित 2एल+पीएस तक चौड़ीकरण और सुदृढीकरण ईपीसी मोड पर तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14/04/2026 को "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. [इंग्लिश]", 14/04/2026 को "प्रगतिवादी" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में एनएच 55 के किमी 277.500 से 318.970 तक कंदरपुर बालिकुडा के एलए सहित 2एल+पीएस तक चौड़ीकरण और सुदृढीकरण ईपीसी मोड पर के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कटक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कटक सदर					
गांव का नाम: कंदरपुर					
1	101/703	निजी	एग्रीकल्चर	0.0101	प्रवीना कुमार मिश्रा, प्रवत कुमार मिश्रा, पुस्पलता मिश्रा ऍस्/डी/ओ-प्रहल्लाद मिश्रा
2	108	निजी	रेसिडेंशियल	0.006	चंद्रमणि मिश्रा ऍस्/ओ- हरेकृष्ण मिश्रा लबन्या मिश्रा डबल्यू/ओ- हरेकृष्ण मिश्रा हरामनी मिश्रा डबल्यू/ओ-माधव मिश्रा जयकृष्ण मिश्रा ऍस्/ओ-घनश्याम मिश्रा सौभावती सारंगी डबल्यू/ओ-पद्मलाभा सारंगी निरूपमा ओट्टा डी/ओ-बनामाली मिश्रा
3	306	निजी	रेसिडेंशियल	0.004	जगन्नाथ साहू ऍस्/ओ- रती साहू
4	389	निजी	रेसिडेंशियल	0.0133	कंदुरी स्वाइन ऍस्/ओ- भगु स्वाइन राज

					किशोरे स्वाइन ऍस्/ओ-हदीबंधु स्वाइन
5	400	निजी	रेसिडेंशियल	0.0222	सगुम बेगम डबल्यू/ओ-मिर्जा जैनुल ज़हादे बैग
6	574	निजी	रेसिडेंशियल	0.004	अंशुमाली नंदा ऍस्/ओ-भागीरथी नंदा
गांव का नाम: सिद्धेस्वरपुर					
7	72/2226	निजी	रेसिडेंशियल	0.008	ममाता जेना डबल्यू/ओ-रमेश चंद्र जेना
Total				0.0676	

[फा. सं. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2026

S.O. 3219(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5865(E) Dated:17/12/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Widening and strengthening to 2L+PS including LA of Kandarpur Balikuda from km 277.500 to 318.970 of NH 55 in the State of Odisha on EPC mode.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” dated 14/04/2026, “The Pragativadi” dated 14/04/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objections filed under Section 3-C,

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH55 in the Widening and strengthening to 2L+PS including LA of Kandarpur Balikuda from km 277.500 to 318.970 of NH 55 in the State of Odisha on EPC mode

State: ODISHA			District: Cuttack		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Cuttack Sadar					
Village: Kandarpur					
1	101/703	Private	Agriculture	0.0101	Prabina Kumar Mishra, Pravat Kumar Mishra, Puspalata Mishra S/D/o- Prahallad Mishra
2	108	Private	Residential	0.006	Chandramani Mishra S/o-Harekrushna Mishra Labanya Mishra W/o- Harekrushna Mishra Haramani Mishra W/o-Madhab Mishra Jayakrushna Mishra S/o-Ghanashyam Mishra Sobhabati Sarangi W/o- Padmalabha Sarangi Nirupama Otta D/o- Banamali Mishra
3	306	Private	Residential	0.004	Jagannath Sahoo S/o- Rati Sahoo
4	389	Private	Residential	0.0133	Kanduri Swain S/o- Bhagu Swain Raj Kishore Swain S/o- Hadibandhu Swain
5	400	Private	Residential	0.0222	Sagupta Begum W/o- Mirza Zainul Zahaden Baig
6	574	Private	Residential	0.004	Anshumali Nanda S/o-Bhagirathi Nanda
Village: Sidheswarpur					
7	72/2226	Private	Residential	0.008	Mamata Jena W/o- Ramesh Chandra Jena
Total				0.0676	

[F. No. RO/BBSR/11011/NH/IAHE/39/Smbp-Nuagaon/2017/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director